

संख्या-543/वीच-9-2023

प्रेषक,
वेद प्रकाश राय
उपसचिव,
ड०प्र०शासन।
सेवा में,
महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विधित्वा अनुभाग-१

संखनक: 15/05/2023

विद्यमान सरोजिनी (विनियमन) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम-2021 के अंतर्गत इलाईयों से वंजीवन शुल्क प्राप्त किये जाने हेतु मट निर्धारण के सम्बन्ध में।

संक्षेपतः,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प०क०/10-जे०डी०/14/2023/7294, दिनांक 16-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सरोजिनी (विनियमन) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 में इलाईयों के वंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बंधित अधिनियम/ विनियमन में प्राविधानित शुल्क को कोषाखर में प्राप्त करने के लिए विभागीय सेवा शीर्षक "0211-00-800-0200-विधिप प्रतियाँ" मट में जमा करने हेतु शासकीय अनुमति पारी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह क्वेरी का निदेश हुआ है कि कृपया सरोजिनी (विनियमन) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 के अंतर्गत इलाईयों के वंजीवन शुल्क को विभागीय सेवा शीर्षक "0211-00-800-0200-विधिप प्रतियाँ" के मट में जमा कराते जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार अचल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by वेद प्रकाश राय

Date: 15-05-2023 16:07:14

Reason: Approved

ई-मेल
कार्यालय महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ०सं०: प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./14/2023/7455-171

लखनऊ, दिनांक 22 मई 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक (समन्वय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (पी०सी०पी०एन०डी०टी०)

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।